

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 218/13

संस्थापन दिनांक:-15/07/13

फाईलिंग नं. 233504000882013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. अनिल पिता रोशन यादव, उम्र 22 वर्ष
 2. ललित पिता रोशन यादव, उम्र 19 वर्ष
- दोनों निवासी लाखापुर टप्पाढाना,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 27.02.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 341, 324/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.05.2013 को रात 09:00 बजे प्रार्थी गोकुल के पुराने मकान एवं नये मकान के बीच रास्ते पर ग्राम लाखापुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी गोकुल को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी गोकुल का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी गोकुल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को धारदार लोहे का चाकू जैसी वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2013 को अस्पताल चौकी बैतूल में फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 058/13 इस आशय का दर्ज किया गया कि दिनांक 29.05.2013 को रात्रि करीब 9 बजे फरियादी गोकुल अपने पुराने मकान में ताला लगाकर नये मकान जा रहा था। तभी रास्ते पर उसे अभियुक्तगण मिले और उसके मुंह पर टार्च मारी और दोनों ने उसे गंदी गंदी मां बहन की गालियां दी तथा ललित ने उसे लठ से पीठ पर मारा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा

दिया। अनिल ने उसे चाकू से मारपीट की जिससे उसे दांहिने पैर के घुटने एवं दांहिने पुट्टे पर चोट लगी। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। अस्पताल चौकी बैतूल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध क्र. 114/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त अनिल से एक लोहे का चाकू तथा अभियुक्त ललित से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी गोकुल का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
6. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी गोकुल को धारदार लोहे का चाकू जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
7. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
8. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
9. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 08 का निराकरण

5 गोकुल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण उसे मां बहन की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। इसके अतिरिक्त घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में अन्य साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी गोकुल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय उसे मां बहन की गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05, 06 एवं 07 का निराकरण

8 गोकुल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त अनिल और ललित ने उसके साथ लाठी से और चाकू से मारपीट की थी जिससे उसके दोनों हाथ की अंगुलियां कट गयी और पैर पर घुटने के नीचे भी चाकू से चोट आयी थी। प्रमिला (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गयी थी जब वह मौके पर पहुंची तो उसने गोकुल को चोट देखी थी उसके पैर से खून निकल रहा था। शिवरतन (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके बेटे गोकुल को ईलाज के लिए अस्पताल लेकर गये थे। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने गोकुल के पैर में चोट देखी थी। उसे बाद में पता चला था कि उसके बेटे गोकुल के साथ अभियुक्तगण का झगड़ा हुआ था।

9 डॉ. राहुल श्रीवास्तव (अ.सा.-7) ने दिनांक 30.05.2013 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत गोकुल का परीक्षण किये जाने पर आहत को एक स्टैब इंजरी, दाहिने पांव पर उपरी एक तिहाई हिस्से में जो कि 10 गुणा 6 गुणा 8 सेमी. गहरा जिसकी मांस पेशियां कटी हुई थी एवं दाहिने कूल्हे पर 1 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार की इन्साइज्ड इंजरी पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोट सख्त एवं धारदार हथियार से आना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी गोकुल (अ.सा.-2), प्रमिला (अ.सा.-1), शिवरतन (अ.सा.-5) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में एवं आहत के द्वारा बताये गये स्थान पर आहत को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 रहमत सिंह (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 20.05.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अस्पताल चौकी बैतूल से जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) के आधार पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) लेखबद्ध की जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने टीआर धुर्वे के साथ काम किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। विवेचना के दौरान टीआर धुर्वे के द्वारा नक्शा मौका (प्रदर्श पी-1), दिनांक 09.07.2013 को अभियुक्त अनिल से एक लोहे का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-5) एवं अभियुक्त ललित से बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-6) तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये थे। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर टीआर धुर्वे के हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन न करते हुए स्वयं के द्वारा घटना न देखा जाना बताया है। एकमात्र आहत के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में साक्षी दीनू (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त अनिल से एक लोहे का चाकू जप्त किया गया था लेकिन अभियुक्त ललित से कुछ जप्त नहीं किया गया था। पुलिस ने उसके समक्ष ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जप्ती और गिरफ्तारी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर उसने पुलिस के कहने पर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है जिससे उसके कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

13 लीलाबाई (अ.सा.-3) ने घटना की कोई जानकारी न होना बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी से भी अभियोजन को किंचित मात्र सफलता प्राप्त नहीं होती है। शिवरतन (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना की जानकारी मोहल्ले से गब्बू नाम के व्यक्ति ने फोन करके दी थी और यह बताया था कि तुम्हारे घर पर झगड़ा हो गया है, तुम्हारे बेटे को हास्पिटल लेकर गये हैं। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके बेटे गोकुल के साथ अभियुक्तगण का झगड़ा हुआ था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे फरियादी गोकुल ने यह बताया था कि अभियुक्तगण ने उसे पीठ पर मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को मात्र इतनी सहायता प्राप्त होती है कि घटना के तत्काल पश्चात फरियादी गोकुल के पैर पर चोट थी।

14 प्रमिला (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना ग्रामल लाखापुर स्थित उसके घर के बगीचे की रात के समय की है। उसके सामने कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। बगीचे में भीड़ इकट्ठी हो गयी थी तो वह भी वहां गयी थी। उसने गोकुल के पैर पर चोट देखी थी। फरियादी गोकुल ने उसे मारने वालों का नाम नहीं बताया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्तगण ने उसके देवर गोकुल के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना होते नहीं देखी थी। फरियादी गोकुल ने उसे अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने की बात नहीं बतायी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी से भी अभियोजन को मात्र इतनी ही सहायता प्राप्त होती है कि घटना के तत्काल पश्चात फरियादी गोकुल के पैर पर चोट थी।

15 अभिलेख पर मात्र गोकुल (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। गोकुल घटना में आहत होकर प्रकरण का सर्वोत्तम साक्षी है। इसके संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया

गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं।

16 गोकुल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि के लगभग 9 बजे की उसके घर के बगीचे के पास की है। वह पुराने घर में ताला लगाकर नये घर की ओर जा रहा था। तभी पुराने घर के पास अभियुक्त अनिल एवं ललित ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर टार्च मारी। अभियुक्त ललित ने उसके सिर पर लाठी से मारा लेकिन उसने हाथ आगे कर लिया जिससे लाठी उसके हाथ पर लगी। अभियुक्त ललित ने उसे पीछे से पकड़ लिया एवं अभियुक्त अनिल उसके पेट में चाकू मारने को हुआ तो उसने दाहिने हाथ से चाकू को पकड़ लिया जिससे उसकी अंगुलियां कट गयीं। इसके बाद अभियुक्त अनिल ने उसके घुटने के नीचे दो-तीन बार चाकू मारा। अभियुक्त ललित ने भी पुट्टे पर चाकू मारा। इसके बाद जब वह जोर से चिल्लाया तो उसकी भाभी प्रमिला और मां लीलाबाई आ गये। तब अभियुक्तगण मौके से भाग गये। उसे ईलाज के लिए बैतूल ले गये और अस्पताल बैतूल में ही अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करायी।

17 गोकुल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण उसकी सगी बुआ के लड़के हैं। उक्त घटना के छह: माह पहले रेत की रॉयल्टी के उपर से विवाद हुआ था। तभी से उसकी अभियुक्तगण से बोलचाल नहीं है। उक्त घटना के समय उसकी अभियुक्तगण से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब उसने चिल्लाया तब लीलाबाई और भाभी प्रमिला आ गये थे लेकिन उन्होंने घटना नहीं देखी थी। उनके आते ही अभियुक्तगण भाग गये थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण से रंजिश होने के कारण वह झूठी बात बता रहा है। उसने सिर, कंधे, पैर और पुट्टे पर चाकू से चोट आना बताया था।

18 प्रकरण में फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन लेख करायी गयी है। फरियादी गोकुल ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्णतः समर्थित है तथा अभियोजन साक्षी प्रमिला एवं शिवरतन की साक्ष्य से आंशिक समर्थित है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी गोकुल (अ.सा.-2) अभियुक्तगण द्वारा चाकू से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रहा है। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है। साक्षी गोकुल अपने कथनों पर स्थिर है और कोई विरोधाभास भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहे हैं। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त अनिल एवं ललित ने फरियादी गोकुल का रास्ता रोका और उसके साथ चाकू से मारपीट कर उसे

स्वेच्छया उपहति कारित की।

19 अभियुक्तगण का एक साथ फरियादी को रोककर उसके उपर धारदार हथियार से प्रहार किया जाना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य आशय के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी गोकुल को चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी गोकुल को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गोकुल का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी गोकुल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को धारदार लोहे का चाकू जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण अनिल एवं ललित को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 341, 324/34, भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

21 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्त अनिल प्रकरण में प्रोडक्शन वारंट से उपस्थित हो रहा है। अभियुक्तगण एवं फरियादी आपस में रिश्तेदार हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में धारदार हथियार से मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

24 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही परिवार के हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण की आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए विचारोपरांत अभियुक्तगण अनिल एवं ललित को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है :-

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा करने की दशा में सश्रम कारावास
324/34 भा.दं. सं.	1 वर्ष	कुछ नहीं।	----
341 भा.दं.सं.	कुछ नहीं।	200/-	5 दिवस साधारण कारावास

25 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्तगण को उप जेल

मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

26 प्रकरण में जप्त एक लोहे का चाकू एवं एक बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)